न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

प्रकरण संख्या 45/2025 (GCMS: 2025/257)
(RTI No. : 212903975966494)

अनुजा गुप्ता निवासी 94 शंकर कॉलोनी, –1, मीरा चौक, एसएसबी रोड़, नजदीक शिव मंदिर, श्रीगंगानगर – 335001 (मोबाईल नम्बर 94607–33655)

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>12.11.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुजा गुप्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अनुजा गुप्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 11.04.2025 से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अनुजा गुप्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थी:

1. दिनांक 29.08.24 को ग्राम पंचायत भागसर (सादुलशहर), श्रीगंगानगर में आयोजित रात्रि चौपाल में जनसुनवाई हेतु आपके कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय से उपस्थित प्रशासनिक अधिकरी का नाम व पदनाम की प्रमाणित सूचना व संबंधित अधिकारी के कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु जारी ड्यूटी ऑर्डर की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. बिंदु संख्या 01 अनुसार आयोजित रात्रि चौपाल में उपस्थिति हेतु शिक्षा विभाग, राजस्थान के अधिकारी/कार्मिक की उक्त कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु पाबंद किए जाने के संबंध में ... ड्यूटी ऑर्डर की प्रमाणित प्रति।
3. बिंदु संख्या 01 अनुसार आयोजित रात्रि ... व रात्रि चौपाल के दिवस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भागसर की प्राचार्य व कार्मिकों के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्रों की प्राप्ति की दिनांक व माध्यम की सूचना, पत्र की प्रमाणित प्रतियों सहित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:39:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

4. बिंदु संख्या 03 अनुसार प्राप्त शिकायत पत्रों के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा किए गए समस्त प्रकार के विभागीय व अंतर विभागीय स्तर के आंतरिक–बाह्य पत्राचार व नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां
5. उक्त शिकायत पत्रों के संबंध में गठित जांच दल संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति व जांच दल द्वारा की गई जांच कार्यवाही रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, (जांच दल द्वारा जांच के संबंध में जारी की गई समस्त प्रश्नावलियों, पत्रों व प्रत्युतरों की प्रमाणित प्रतियों सहित)
6. उक्तानुसार बिंदुओं 1 से 5 के अंतर्गत रात्रि चौपाल के संबंध आपके कार्यालय से व आपके अधीनस्थ कार्यालय से विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशन हेतु प्रेषित किए गए पत्र की प्रमाणित प्रतियां व जिस आधार पर पर की रिपोर्ट तैयार की गई थी उस आधार संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां
7. उक्तानुसार रात्रि चौपाल में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्र व प्राप्त शिकायत पत्रों के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधित पत्रावली की प्रमाणित सूचना।

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक आरटीआई/25/राजकाज नं. 16949621 दिनांक 02.08.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्रीमती अनुजा गुप्ता का आवेदन पत्र इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 563 दिनांक 27.06.2025 द्वारा संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सादुलशहर को हस्तान्तरित कर दिया गया था।

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सादुलशहर के पत्रांक 2068 दिनांक 30.07.2025 द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई हैं। जिसकी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को प्राप्त प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:39:05 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने जवाब के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सादुलशहर के पत्र क्रमांक 2068 दिनांक 30.07.2025 की प्रति संलग्न कर भिजवाई है, जिसके अनुसार मुख्य ब्लॉक शिक्षा

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी, सादुलशहर ने अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 से 05 की सूचना उपलब्ध करवा दी है और बिन्दु संख्या 06 व 07 की सूचना उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के पास निहित होना अंकित किया है। बिन्दु संख्या 06 व 07 की सूचना उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है का उल्लेख अपने जवाब में नहीं किया है। इसलिए बिन्दु संख्या 06 व 07 के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाना उचित प्रतीत होता है और उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 6 व 7 के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सदुलशहर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:39:05 IST
Reason: SelfAttested